भारत सरकार
गृह मंत्रालय
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1960**
दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

**धनशोधन, आतंकवादियों के वित्तपोषण आदि के संबंध में अन्य देशों के साथ समझौता**

**1960. श्री के. सी. त्यागी :**
**श्री पि. भट्टाचार्य :**
**श्री किरनमय नन्दा :**
**श्री रामदास अठावले :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने धन शोधन और आतंकवादियों के वित्तपोषण आदि से संबंधित जानकारी आपस में बांटने के लिए अन्य देशों के साथ समझौता किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में संबंधित देशों द्वारा किस कार्य योजना का पालन किया जा रहा है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

**(क), (ख) और (ग): वितीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-इंड) ने धनशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से संबंधित सूचना साझा करने के लिए अन्य देशों की 30 समकक्ष एफआईयू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है।**

**एफआईयू-इंड एफआईयू के एगमोंट समूह का भी एक सदस्य है जो 151 एफआईयू सदस्यों का एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है। इसके अतिरिक्त, भारत एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) का सदस्य भी है जो धनशोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण**

<u>राज्य सभा अता.प्र.सं.1960</u>

और गंभीर कर संबंधी अपराधों से निपटने के संबंध में सिफारिशें करता है। भारत धनशोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में भारत के पक्ष को रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय/ वैश्विक बैठकों में भाग लेता है।

-----